**No. CDN-27011/2/2019-CDN-MCA**
**Government of India**
**Ministry of Corporate Affairs**

5th Floor, 'A' Wing, Shastri Bhavan
Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi-110 001
Dated: 22.11.2019

A copy of the Monthly Summary of the Ministry of Corporate Affairs for the month of October, 2019 is enclosed for information.

**(Hemant Verma)**
**Under Secretary to the Govt. of India**
**Tele: 23381349**

**To**

All Members of the Council of Ministers

**Copy, with enclosures, forwarded to:**

1. Director, Cabinet Secretariat, Rashtrapati Bhawan, New Delhi
2. All Secretaries to the Govt. of India
3. Senior PPS to Secretary, Ministry of Corporate Affairs
4. Senior PPS to Additional Secretary, Ministry of Corporate affairs
5. Dir (NIC) - To upload the communication on official website of the MCA

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

IMPORTANT POLICY DECISIONS TAKEN AND MAJOR ACHIEVEMENTS DURING THE MONTH OF OCTOBER, 2019

**1. Notifications:-**

**(i)** Vide notification dated 11.10.2019 the Companies (Meeting of Board and its Powers) Rules, 2014 have been amended. In rule11, in sub-rule (2), for the words "business of financing of companies", the words "business of financing industrial enterprises" have been substituted. With this amendment in such rule, the provisions of the rules have been aligned with the provisions of section 186 of the Act as amended by Companies (Amendment) Act, 2017. (Notification No. 777 dated 11.10.2019).

**(ii)** Vide notification dated 22nd October, 2019, the Central Government, has notified the Indian Institute of Corporate Affairs (IICA) at Manesar as the institute to create and maintain the data bank containing names, addresses and qualifications of persons who are eligible and willing to act as independent directors, for the use of the company making appointment of such directors. The notification shall come into force from 1.12.2019. (Notification S.O. No. 3791 (E) dated 11.10.2019).

**(iii)** The Ministry has notified Companies (cost records and audit) Amendment Rules, 2019 on 15.10.2019 to rationalize and remove the ambiguities and bring more clarity in the Rules, make changes due to implementation of GST and revision of connected forms. In the said notification, CRA-1 form has been modified by merging all the overheads at one place to remove duplicity and by giving reference to excise duty/records and related cost statements in line with GST implementation. Similarly, in CRA-3 form the information on number of audit committee meetings during the year for which cost auditors were invited has been included, other comprehensive income has been depicted separately and changes in nomenclature of duties/records on account of GST has been done. (Notification No. G.S.R. 792 (E), dated 15.10.2019).

**(iv)** The Ministry has amended the Companies (Filing of Documents and Forms in Extensible Business Reporting Language) Rules, 2015 to amend the annexure III relating to costing taxonomy to cater with the amendments made on 15.10.2019 in the Companies (cost records and audit) Rules, 2014 due to implementation of GST and revision of connected forms i.e. CRA-1 (Particulars relating to the Items of Costs to be included in the Books of Accounts) and CRA-3 (Form of Cost Audit Report). (Notification No. G.S.R. 794 (E), dated 15.10.2019).

**(v)** The Ministry has notified the Companies (Incorporation) Eighth Amendment Rules, 2019 to omit the words and figure “or applicant for registration” in rule 8A, in sub-rule 1, in clause (b) and therefore the consent of the owner of the trademark only will be required for name of a company in case of any existing trademark. The said notification further amends rule 25A to increase the exceptional cases of changes in

directorship which can be filed through DIR-12 by a company even if the eform ACTIVE was not filed by the said company. The said notification further requires the Regional Directors (RD) to pass disposal order within 15 days from the receipt of the application for shifting the registered office within the same state and the certified copy of order of the RD be filed in Form No.INC-28 along with fee with the Register concerned within 30 days from the receipt of certified copy of the order. (Notification No. G.S.R. 793 (E), dated 16.10.2019)

**(vi)** The Ministry has amended Companies (Accounts) Rules, 2014 on 22.10.2019 and made the companies to include in their Board Report a statement regarding opinion of the Board with regard to integrity, expertise and experience (including the proficiency) of the independent directors appointed during the year. (Notification No. G.S.R. 803 (E), dated 22.10.2019).

**(vii)** Further amendments have been made to 2 sets of existing Rules on 22.10.2019 (also effective from 01.12.2019) by issuing the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Fifth (Amendment) Rules, 2019 and the Companies (Accounts) Amendment Rules, 2019.

The first set of Amendment Rules, inter alia, provide that every individual whose name is included in the data bank shall pass an online proficiency self-assessment test within a period of one year from the date of inclusion of his name in the data bank. Exemptions from appearing/passing such test has been provided for individuals having specified experience. As per second set of Amendment Rules, every company shall attach, in the Board's report, a statement regarding opinion of the Board of directors w.r.t. the integrity, expertise and experience (including the proficiency) of independent directors appointed during the year. (Notification No. G.S.R. 804 (E), dated 22.10.2019).

**(viii)** The Ministry has also notified, on 22.10.2019, a new set of Rules namely the Companies (Creation and Maintenance of Data bank of Independent Directors) Rules, 2019. The functions and duties of IICA with respect to creation and maintenance of databank have been prescribed in such rules. Rule 5 of the said rules also provides that there shall be a Panel of not more than ten members nominated by the Central Government, for the purpose of approving the outline of the courses and study material prepared by the institute. These rules, except rules with regard to definitions and the Panel, are also effective from 1st December, 2019. (Notification No. G.S.R. 805 (E), dated 22.10.2019).

**(ix)** The Ministry has issued a notification on 30.10.2019 to provide the Registrar of Companies, Jammu, the jurisdiction in respect of Union Territory of Jammu & Kashmir and Union Territory of Ladakh for the purpose of Registration of companies and discharging the function under the Companies Act, 2013 w.e.f. 31.10.2019. (Notification No. S.O. 3955 (E), dated 30.10.2019).

**(x)** The Ministry has amended the earlier notification published vide no. GSR 832 (E) dated 03.11.2015 and extended the jurisdiction of Regional Director, North Region Directorate, Headquarter at New Delhi to Union Territories of Jammu and Kashmir & Ladakh as well w.e.f. 31.10.2019. (Notification No. S.O. 3957 (E), dated 30.10.2019).

**(xi)** The Ministry has amended the earlier notification published vide no. SO 831 (E) dated 24.03.2015 and amended the jurisdiction of Registrar of Companies-cum-Official Liquidator, Jammu from "whole state of Jammu and Kashmir" to "Union Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh" to act as an adjudicating officer w.e.f. 31.10.2019. (Notification No. S.O. 3956 (E), dated 30.10.2019).

**2. CIRCULARS:-**

(i) Through the General Circular dated 24.10.2019, the Ministry has extended the last date of filing of CRA-4 (cost audit report) for all eligible companies for the financial year 2018-19, without payment of additional fees till 31.12.2019. (General Circular No.12/2019 dated 24.10.2019).

(ii) Through the General Circular dated 29.10.2019, the Ministry has extended the due date for filing of eforms AOC-4, AOC-4 (CFS), AOC-4 XBRL upto 30.11.2019 and eform MGT-7 upto 31.12.2019, by companies without levy of additional fee. (General Circular No.13/2019 dated 29.10.2019).

3.(i) A total of 173 cases are pending before CCI for final disposal amongst which 11 cases are pending under Section 5 & 6.

(ii) The first Green Channel approval was granted to the acquisition of Essel Mutual Fund by an entity owned by Former Flipkart co-founder Sachin Bansal's BACQ.

(iii) CCI in its order dated 28th October, 2019 has found that there is a "prima facie case for investigation" against MakeMyTrip and Oyo for alleged violations of rules barring uncompetitive agreements between parties

4. Memorandum of Understanding between the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the Kuwait Accountants and Auditors Association (KAAA) to work together in Capacity building and strengthening the accounting, financial and audit base in Kuwait was approved by the Cabinet on 23.10.2019.

5. In order to undertake a proactive approach to achieve its mandate of promoting investor education, awareness and protection, IEPF Authority has signed an MOU (Memorandum of Understanding) with Nehru Yuva Kendra Sangathan, NYKS (Department of Youth Affairs, Ministry of Sports and Youth Affairs) on 16.10.2019 for conduction of customized Investor Awareness Programmes (IAPs) for District Youth Co-ordinators and Youth volunteers of NYKS. As a pilot, initially a (ToT) Awareness programme for NYKS Youth Volunteers was held at Bhubaneswar of 10th September

2019, wherein approximately 100 youth volunteers participated. Under the MOU signed, customized IAPs are to be conducted in approximately 300 Districts, in TOT format. As an outcome, NYKs will identify the target groups/participants at District, Block and village level for spreading the Investment awareness through its Youth Clubs for spreading Investor Awareness and Education at the grassroots.

6. A meeting of Insolvency Law Committee(ILC) was held on 09.10.2019 wherein financial service providers under section 227 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016(Code) were discussed. Further, another meeting of the ILC was held on 15.10.2019 wherein the issues regarding Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) and liquidation process were discussed.

7. The Indian Institute of Corporate Affairs (IICA) acts as an agent to the Government in the capacity of think-tank and is mandated to carry out Policy, Research, organize Capacity Building Programmes and to act as an academic Institution to offer academic programmes in the area of Corporate Affairs. The Institute supports in organizing training programmes, important events and implementing initiatives of the Ministry of Corporate Affairs and various organizations under it. The important developments made in the month of October, 2019 are as under:

8. IICA-NFCG-SIDBI-UPMA - a two day workshop for Independent Directors and Company Secretary - supported by UK Government - provides the participants an opportunity to share their perspective on learning from the front while working with the boards on various governance matters and living up to their position as Independent Directors.

9. Five day Residential Refresher course for officers of Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI). Covered the emerging areas of IBC including Individual Insolvency, Inspection and Investigation, Interface of IBC with Companies Act, SEBI Act, MSME, SARFAESI Act and Competition Act, Regulatory Impact Assessment, Use of Mediation in Dispute Resolution, Experiences and Policy conditions, Use of online Dispute Resolution, Issues and challenges, Group Insolvency and the Organizational Behavior and Human Resources Management.

10. National CSR Awards 2019 conducted on 29th October, 2019 on the 150th birth anniversary of Mahatama Gandhi. Companies were awarded based on their strategic approach in CSR and its efforts in challenging circumstances. The award were conferred by the President of India. He was associated with Union Minister for Finance & Corporate Affairs, Smt. Nirmala Sitharaman, Minister of State for Finance and Corporate Affairs, Shri Anurag Singh Thakur, Industry Leaders, Secretary, Ministry of Corporate Affairs and DG & CEO, IICA.

11. IICA-MCA training Program on "corporate Intelligence" for the officers of MCA and its attached offices. Participated by 20 Government Officers. Helped the participants learn new management concept, explore new perspectives and master management skills by providing opportunity for them to interact among themselves.

12. ICP - CSR Batch V - Series of "Practicum Sessions" delivered by domain experts for ICP in CSR course -Conducted by National Foundation for Corporate Social Responsibility (NFCSR) to enable the learner to redefine Corporate Social Responsibility as the integral part of the value creation purpose of the organization.

13. Assessment of Stree Nidhi Lending on Tribal Populations - The National Scheduled Tribes finance and Development Corporation (NSTFDC) retained IICA to assess the impact of loans made to self-help groups (SHGs) by state channelizing agency (SCA), Stree Nidhi, IICA will assess the flow of NSTFDC funding via Stree Nidhi to tribal SHG members in four inter-tribal development areas(IDTAs) in Telangana. The study findings will help inform the depth of future loan subsidy extended to Stree Nidhi by NSTFDC.

14. HPMP Impact Assessment Project - Training of refrigeration and air-conditioning service technicians in the country. The project is funded under the Skill India Mission - Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana.

15. GAIL: Approach Papers -GAIL India, Govt. of India undertaking company and the largest state-owned natural gas processing and Distribution Company in India consigned NFCSR to conceptualize approach papers on CSR. The papers have been drafted on various topics viz., CSR branding of GAIL, adoption of villages, empanelment of implementing agencies at corporate level etc. keeping in mind commitment at all levels in the organization to operate its business in an economically, socially & environmentally sustainable manner, while recognizing the interests of all its stakeholders.

**सं.सीडीएन-27011/2/2019-सीडीएन-एमसीए**

**भारत सरकार**

**कारपोरेट कार्य मंत्रालय**

**5वां तल, ए विंग, शास्त्री भवन,**

**डा. राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली-110001**

**तारीखः 22.11.2019**

कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अक्तूबर, 2019 माह के मासिक सार की प्रति सूचना हेतु संलग्न है।

**(हेमंत वर्मा)**

**अवर सचिव, भारत सरकार**

**दूरभाषः 23381349**

**सेवा में**

मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य

प्रतिलिपि, संलग्नक सहित, निम्नलिखित को प्रेषित-

1. निदेशक मंत्रीमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली
2. भारत सरकार के सभी सचिव
3. सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव
4. अपर सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव
5. निदेशक (एनआईसी)- कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु

## कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अक्तूबर, 2019 माह के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण नीति निर्णय और प्रमुख उपलब्धियां

**1. अधिसूचनाएं:-**

**(i)** दिनांक 11.10.2019 की अधिसूचना के द्वारा कंपनी (बोर्ड की बैठक और उसकी शक्तियां) नियम, 2014 में संशोधन किया गया। नियम 11 के उपनियम(2) में "कंपनियों के वित्तपोषण कार्य" शब्दों के लिए, "औद्योगिक उद्यमों के वित्तपोषण कार्य" शब्द रखे गए। इस नियम में इस संशोधन से, नियमों के प्रावधानों को कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017 द्वारा किए गए संशोधन के अनुसार अधिनियम की धारा 186 के प्रावधानों के अनुरूप किया गया। (अधिसूचना संख्या 777 तारीख 11.10.2019)।

**(ii)** केंद्रीय सरकार ने, दिनांक 22 अक्तूबर, 2019 की अधिसूचना द्वारा मानेसर स्थित भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) को उस संस्थान के रूप में अधिसूचित किया जिसका कार्य स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करने वाली कंपनी के उपयोग हेतु ऐसे निदेशकों के रूप में कार्य करने वाले पात्र और इच्छुक व्यक्तियों के नाम, पते और अर्हताओं सहित डाटा बैंक तैयार करना और रखना है। यह अधिसूचना दिनांक 01.12.2019 से प्रवृत्त होगी। (अधिसूचना संख्या का.आ.3791(अ) तारीख 11.10.2019)।

**(iii)** मंत्रालय ने नियमों को तर्कसंगत बनाने और अस्पष्टताएं दूर करने तथा अपेक्षाकृत अधिक स्पष्टता लाने और जीएसटी के कार्यन्वयन के कारण परिवर्तन करने और संबंधित प्ररूपों में संशोधन के लिए दिनांक 15.10.2019 को कंपनी (लागत अभिलेख और लेखापरीक्षा) संशोधन नियम, 2019 अधिसूचित किया। उक्त अधिसूचना में, द्वैधता दूर करने के लिए सभी उप-शीर्षकों का विलयन करके और जीएसटी लागू होने के साथ उत्पाद शुल्क/अभिलेखों और संबंधित लागत विवरणों का संदर्भ देते हुए सीआरए-1 प्ररूप में संशोधन किया। इसी तरह सीआरए-3 प्ररूप में वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा समिति की संख्या संबंधी सूचना में समिति की वह संख्या संबंधी सूचना भी शामिल की गई जिसमें लागत लेखापरीक्षकों को आमंत्रित किया गया, अन्य विस्तृत आय को पृथक रूप दर्शाया गया था तथा जीएसटी के कारण कर्तव्यों/अभिलेखों के नामों में परिवर्तन किया गया। (अधिसूचना संख्या सा.का.नि.792(अ) तारीख 15.10.2019)।

**(iv)** मंत्रालय ने जीएसटी लागू होने के कारण कंपनी (लागत अभिलेख और लेखापरीक्षा) नियम, 2014 में दिनांक 15.10.2019 को किए गए संशोधनों के अनुसरण में लागत वर्गीकरण संबंधी अनुलग्नक-III में संशोधन करने और संबंधित प्ररूपों अर्थात् सीआरए-1 (लेखाबहियों में शामिल किए जाने वाले लागतों की मदों से संबंधित ब्यौरे) और सीआरए-3 (लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट का प्ररूप) में संशोधन करने के लिए कंपनी (दस्तावेजों और प्ररूपों का प्रसारणीय कारबार रिपोर्ट भाषा में फाइल करना) नियम, 2015 में संशोधन किया। (अधिसूचना संख्या सा.का.नि.794(अ) तारीख 15.10.2019)।

**(v)** मंत्रालय ने नियम 8क के उपनियम (1) के खंड (ख) में "या रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदक" शब्दों और अंकों का लोप करने के लिए कंपनी (निगमन) आठवां संशोधन नियम, 2019 अधिसूचित किया और इस प्रकार ट्रेडमार्क के स्वामी की अनुमति केवल किसी मौजूदा ट्रेडमार्क के मामले में कंपनी के नाम हेतु ही अपेक्षित की जाएंगी। इस के अलावा उक्त अधिसूचना में निदेशकता में परिवर्तनों के विशेष मामले बढ़ाने हेतु नियम 25क के संशोधन प्रावधान है जो किसी कंपनी द्वारा डीआईआर-12 भरे जाने के माध्यम से किया जा सकता है, भले ही उक्त कंपनी द्वारा ई-प्ररूप **एक्टिव** दायर नहीं किया गया था। इसके अलावा उक्त अधिसूचना में प्रादेशिक निदेशक (आरडी) को उसी राज्य में रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थानांतरित करने के लिए आवेदन की प्रति की प्राप्ति के पंद्रह दिन के भीतर निपटान आदेश पारित करना अपेक्षित है और प्रादेशिक निदेशक के आदेश की सत्यापित प्रति आदेश की सत्यापित प्रति की प्राप्ति से 30 दिन के भीतर संबंधित रजिस्ट्रार को फीस सहित प्ररूप संख्या आईएनसी-28 में दायर करना अपेक्षित है। (अधिसूचना संख्या सा.का.नि.793(अ) तारीख 16.10.2019)।

**(vi)** मंत्रालय ने कंपनी (लेखा) नियम, 2014 में दिनांक 22.10.2019 को संशोधन किया और कंपनियों के लिए उस वर्ष के दौरान नियुक्ति किए गए स्वंतत्र निदेशकों की सत्यनिष्ठा, विशेषज्ञता और अनुभव (दक्षता सहित) के संबंध में बोर्ड की राय से संबंधित विवरण अपनी बोर्ड रिपोर्ट में शामिल करना अपेक्षित है। (अधिसूचना संख्या सा.का.नि.803(अ) तारीख 22.10.2019)।

**(vii)** कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) (पांचवां संशोधन) नियम, 2019 और कंपनी (लेखा) संशोधन नियम, 2019 को जारी करते हुए दिनांक 22.10.2019 (दिनांक 01.12.2019 से प्रवृत्त) को मौजूदा नियमों के 2 समूहों में अतिरिक्त संशोधन किये गए ।

संशोधन नियमों का पहला समूह अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक वैयक्तिक, जिसका नाम डाटा बैंक में शामिल किया गया है, डाटा में उनके नाम जोड़ने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर एक ऑनलाइन दक्षता स्व-मूल्यांकन परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे। ऐसी परीक्षा में उपस्थित होने/उत्तीर्ण करने से छूट का प्रावधान विनिर्दिष्ट अनुभव प्राप्त वैयक्तिकों को दिया गया है। संशोधन नियमों के दूसरे समूह के अनुसार, प्रत्येक कंपनी अपनी बोर्ड रिपोर्ट में उस वर्ष के दौरान नियुक्त किए गए स्वंतत्र निदेशकों की सत्यनिष्ठा, विशेषज्ञता और अनुभव (दक्षता सहित) के संबंध में बोर्ड की राय से संबंधित विवरण शामिल करेगी। (अधिसूचना संख्या सा.का.नि.804(अ) तारीख 22.10.2019)।

**(viii)** मंत्रालय ने दिनांक 22.10.2019 को कंपनी (स्वतंत्र निदेशकों के डाटा बैंक का सृजन और रखरखाव) नियम, 2019 नामक नियमों के एक समूह को भी अधिसूचित किया। डाटा बैंक के सृजन और रखरखाव के संबंध में आईआईसीए के कार्य और कर्तव्य इन नियमों में विनिर्दिष्ट किए गए है। उक्त नियमों के नियम 5 में यह भी प्रावधान है कि संस्थान द्वारा चलाए जाने वाले पाठ्यक्रम और तैयार अध्ययन सामग्री की रूपरेखा के अनुमोदन के प्रयोजनार्थ केंद्रीय सरकार द्वारा नामित किए गए अधिकतम दस सदस्यों का एक पैनल होगा। परिभाषाओं और पैनल से संबंधित नियमों को छोड़कर, ये

नियम भी 01 दिसंबर, 2019 से प्रवृत्त होंगे। (अधिसूचना संख्या सा.का.नि.805(अ) तारीख 22.10.2019)।

**(ix)** मंत्रालय ने कंपनी रजिस्ट्रार के उद्देश्यार्थ और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत किए जाने वाले कार्यों के प्रयोजनार्थ जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में कंपनी रजिस्ट्रार, जम्मू को क्षेत्राधिकार देने के लिए दिनांक 31.10.2019 को एक अधिसूचना जारी की है। (अधिसूचना संख्या का.आ.3955(अ) तारीख 30.10.2019)।

**(x)** मंत्रालय ने दिनांक 03.11.2015 की संख्या सा.का.नि.832(अ) द्वारा प्रकाशित अधिसूचित पूर्ववर्ती अधिसूचना में संशोधन किया और दिनांक 31.10.2019 से प्रादेशिक निदेशक, उत्तरी प्रादेशिक निदेशालय, मुख्यालय, नई दिल्ली का क्षेत्राधिकार बढ़ाकर जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र तक कर दिया है। (अधिसूचना संख्या का.आ.3957(अ) तारीख 30.10.2019)।

**(xi)** मंत्रालय ने दिनांक 24.03.2015 की संख्या का.आ.831(अ) द्वारा प्रकाशित पूर्ववर्ती अधिसूचना में संशोधन किया और दिनांक 31.10.2019 से न्यायनिर्णायक अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए कंपनी रजिस्ट्रार-सह-शासकीय समापक, जम्मू के क्षेत्राधिकार में संशोधन करके "जम्मू और कश्मीर संपूर्ण राज्य" से "जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र" किया गया। (अधिसूचना संख्या का.आ.3956(अ) तारीख 30.10.2019)।

**2. परिपत्रः-**

(i) मंत्रालय ने दिनांक 24.10.2019 के सामान्य परिपत्र द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए सभी पात्र कंपनियों हेतु सीआरए-4 (लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट) को अतिरिक्त फीस का भुगतान किए बिना फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31.12.2019 की। (सामान्य परिपत्र संख्या 12/2019 तारीख 24.10.2019)।

(ii) मंत्रालय ने दिनांक 29.10.2019 के सामान्य परिपत्र द्वारा कंपनियों द्वारा ई-प्ररूप एओसी-4, एओसी-4(सीएफएस), एओसी-4एक्सबीआरएल को अतिरिक्त फीस का भुगतान किए बिना फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30.11.2019 और ई-प्ररूप एमजीटी-7 की अंतिम तारीख 31.12.2019 की। (सामान्य परिपत्र संख्या 13/2019 तारीख 29.10.2019)।

3.(i) सीसीआई के समक्ष अंतिम निपटान हेतु कुल 173 मामले लंबित हैं जिनमें से 11 मामले धारा 5 और 6 के तहत लंबित हैं।

(ii) फ्लिपकार्ट के पूर्ववर्ती सह-संस्थापक सचिन बंसल के बीएसीक्यू की स्वामित्व वाली एनटिटि द्वारा एस्सेल म्यूचुअल फंड के अधिग्रहण का पहला ग्रीन चैनल को अनुमोदन दिया गया था।

(iii) सीसीआई ने दिनांक 28 अक्तूबर, 2019 के अपने आदेश में मेक माई ट्रिप और ओयो के विरूद्ध दोनों पक्षों के बीच प्रतिस्पर्धा रोधी समझौतों को तोड़ने के नियमों के तथाकथित उल्लंघनों के लिए “प्रथम दृष्टया जांच का मामला” पाया।

4. भारतीय चार्टर्ड अकांउटेंट संस्थान (आईसीएआई) और कुवैत अकांउटेंट्स एंड ओडिटर्स एसोशिएसन (सीएएए) के बीच कुवैत में लेखांकन, वित्त और लेखापरीक्षा क्षमता निर्माण और सुदृढ़ करने के लिए मिलकर कार्य करने हेतु समझौता ज्ञापन दिनांक 23.10.2019 को मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया।

5. आईईपीएफ प्राधिकरण ने अपने निवेशक शिक्षा, जागरूकता और सुरक्षा के संवर्धन के अधिदेश के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अग्रसक्रिय दृष्टिकोण हेतु नेहरू युवा केंद्र संगठन, एनवाईकेएस (युवा कार्य विभाग, खेल और युवा कार्य मंत्रालय) के साथ दिनांक 16.10.2019 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जिसका उद्देश्य विशेष रूप से एनवाईकेएस जिला युवा सह-संयोजकों तथा युवा स्वयंसेवकों के लिए निवेशक जागरूकता कार्यक्रमों (आईएपी) का आयोजन करना है। प्रारंभिक रूप से, दिनांक 10 सितंबर, 2019 को भुवनेश्वर में एनवाईकेस युवा स्वयंसेवकों के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम (टीओटी) का आयोजन किया जिसमें लगभग 100 युवा स्वयंसेवकों ने भाग लिया। हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के तहत टीओटी प्रारूप में लगभग 300 जिलों में विशिष्ट आईएपी आयोजित करने हैं। इसके परिणामस्वरूप, एनवाईकेएस जनसाधारण में निवेशक जागरूकता और शिक्षा फैलाने हेतु अपने युवा क्लब के माध्यम से निवेशक जागरूकता के लिए जिला, ब्लॉक और स्तर पर लक्षित समूहों/भागीदारों की पहचान करेंगे।

6. दिनांक 09.10.2019 को इंसोल्वेंसी विधि समिति (आईएलसी) की बैठक आयोजित की गई जिसमें दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (संहिता) की धारा 227 के तहत वित्तीय सेवा प्रदाताओं पर विचार किया गया। इसके अतिरिक्त, दिनांक 15.10.2019 को आईएलसी की दूसरी बैठक का आयोजन किया गया जिसमें कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) और समापन प्रक्रिया संबंधित मामलों पर विचार किया गया।

7. भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) विचार मंच की क्षमता से सरकार के एक एजेंट के रूप में कार्य करता है और नीति, अनुसंधान, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के आयोजन के लिए अधिदेशित है तथा कारपोरेट कार्यों के क्षेत्र में शैक्षिक कार्यक्रम उपलब्ध करवाने वाले एक शैक्षिक संस्थान के रूप में कार्य करता है। यह संस्थान प्रशिक्षण कार्यक्रमों, महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन करने और कारपोरेट कार्य मंत्रालय तथा इसके अधीन विभिन्न संगठनों की पहलों को लागू करने में सहायता करता है। अक्तूबर, 2019 माह के दौरान महत्वपूर्ण विकास कार्य निम्नानुसार हैं:-

8. आईआईसीए-एनएफसीजी-एसआईडीबीआई-यूपीएमए- यूके सरकार द्वारा समर्थित- स्वतंत्र निदेशकों और कंपनी सचिवों के लिए एक दो दिवसीय कार्यशाला भागीदारों को स्वतंत्र निदेशकों के रूप में उनकी स्थिति

के अनुरूप आचरण करने और विभिन्न शासकीय मामलों पर बोर्ड के साथ कार्य करते समय सामने वाले से उनके दृष्टिकोण को साझा करने का अवसर प्रदान करती है।

9. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) के अधिकारियों के लिए पांच दिवसीय रिफ्रेशर पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें वैयक्तिक दिवाला, निरीक्षण और अन्वेषण, कंपनी अधिनियम के साथ आईबीसी का इंटरफेस, सेबी अधिनियम, एमएसएमई, एसएआरएफएईएसआई अधिनियम और प्रतिस्पर्धा अधिनियम, नियामक प्रभाव मूल्यांकन, विवाद समाधान में मध्यस्तथा का प्रयोग, अनुभव और नीति शर्तें, ऑनलाइन विवाद समाधान का प्रयोग, मामले और चुनौतियां, समूह दिवाला और संगठनात्मक आचरण एवं मानव संसाधन प्रबंधन सहित आईबीसी के नये क्षेत्रों को शामिल किया गया।

10. महात्मा गांधी के 150वीं जन्म वर्ष गांठ के अवसर पर दिनांक 29 अक्तूबर, 2019 को राष्ट्रीय सीएसआर पुरस्कार, 2019 का आयोजन किया गया। कंपनियों को सीएसआर के क्षेत्र में उनके नीतिगत दृष्टिकोण और चुनौती भरे वातावरण में उनके प्रयासों के आधार पर पुरस्कृत किया गया। भारत के राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार दिये गए। उनके साथ वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, वित्त और कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री, श्री अनुराग सिंह ठाकुर, औद्योगिक प्रमुख, सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय और डीजी एवम् सीईओ, आईआईसीए भी मौजूद थे।

11. एमसीए और इसके संबद्ध कार्यलयों के अधिकारियों के लिए "कारपोरेट बुद्धिमता" पर आईआईसीए-एमसीए-प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इससे 20 सरकारी अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया। भागीदारों को आपस में बातचीत करने के लिए अवसर प्रदान करते हुए नई प्रबंध संकल्पना सीखने, नये परिपेक्ष्य और प्रमुख प्रबंध कौशल खोजने में सहायता मिली।

12. आईसीपी-सीएसआर बैच V- कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी राष्ट्रीय फाउंडेशन (एनएफसीएसआर) द्वारा आयोजित सीएसआर पाठ्यक्रम में आईसीपी के लिए डोमेन विशेषज्ञों द्वारा "प्रैक्टिकम सेशन्स" की श्रृंखला पर विचार विमर्श किया गया जो भागीदारों को संस्थान के मूल्य सृजन उद्देश्य के अखंड अंग के रूप में कारपोरेट सामाजिक दायित्व को पुनःपरिभाषित करने हेतु समर्थ बनाएगा।

13. जन-जातिय आबादी में स्त्री निधि लैंडिग का मूल्यांकन - राष्ट्रीय अनुसूचित जन-जाति वित्त और विकास संगठन (एनएसटीएफडीसी) ने राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी एससीए, स्त्री निधि द्वारा स्व-सहायता समूह (एसएचजी) को दिए गए ऋणों के प्रभाव के मूल्यांकन का कार्य आईआईसीए को दिया। आईआईसीए तेलंगाना में चार अंतर-जन-जातिय विकास क्षेत्रों (आईडीटीए) में जन-जातिय एचएसजी सदस्यों को स्त्री निधि के माध्यम से एनएसटीएफडीसी निधि के प्रवाह का मूल्यांकन करेगा। अध्ययन के परिणाम एनएसटीएफडीसी द्वारा भविष्य में स्त्री निधि की ऋण सब्सीडी बढ़ाने की जानकारी देने के लिए सहायक होगा।

*14. एचपीएमपी प्रभाव मूल्यांकन परियोजना- देश में प्रशीतन और वातानूकुलित सेवा तकनीशियनों का* प्रशिक्षण। इस परियोजना को स्कील इंडिया मिशन-प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत निधि दी गई है।

15. गैलः दृष्टिकोण शोध पत्र- गैल इंडिया, भारत सरकार की कंपनी और भारत में सर्वाधिक बड़ी प्राकृतिक गैस उत्पादन और वितरित सरकारी कंपनी ने सीएसआर वैचारिक दृष्टिकोष शोध पत्र का कार्य एनएफसीएसआर को सौपा। गैल में सीएसआर ब्राडिंग, गांवों को गोद लेना, सभी हितधारकों हितों को ध्यान में रखते हुए आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और पर्यावरण की दृष्टि से अपना व्यवसाय करने में संस्थान में सभी स्तरों पर प्रतिबंद्धता को ध्यान में रखते हुए कारपोरेट स्तर पर कार्यन्वयन एजेंसियों का पैनल तैयार करना आदि जैसे विभिन्न विषयों पर शोध पत्र तैयार किए गए।